डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2001—भाद्र 13, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1930 एफ/10-2/2001/वा.क./पांच (47).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 326/641/वा.क./पांच/2001 दिनांक 1-3-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में शब्द "31 अगस्त 2001" के स्थान पर शब्द "30 नवम्बर 2001" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

Raipur, the 4th September 2001

NOTIFICATION

No. 1930 F/10-2/2001/CT/V (47).—In exercise of powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. 326/641/CT/V/2001, dated 1-3-2001 namely :—

Amendment

In the Notification for word "31st August 2001", word "30th November 2001" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी !
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र 192-अ] रायपुर, मंगलवार , दिनांक 4 सितम्बर 2001—भाद्र 13, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4699/21-अ/प्रारुपण/2001.—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 16 सन् 2001) छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम (क्र. 16 सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 16 सन् 2001) है.

सीमा. 2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ. 3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 2 का संशोधन. 4. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उपधारा (छ) में शब्द "मिष्ठान" के पश्चात् शब्द "नमकीन" जोड़ा जायेगा.

धारा 5 का संशोधन. 5. प्रमुख अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) के खण्ड (ग), (घ) एवं (ङ) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" जोड़ा जायेगा.

धारा 9-ए का संशोधन. 6. प्रमुख अधिनियम की धारा 9-ए में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

धारा 27 का संशोधन. 7. धारा 27 की उपधारा (5) के खण्ड (घ) में शब्द "बुद्धि से" के पश्चात् निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे :

"उचित आधारों पर आधारित जो लिपिबद्ध किये जाएंगे"

धारा 35-ख एवं ग का समावेश. 8. प्रमुख अधिनियम की धारा 35-क के पश्चात् निम्नांकित धारायें जोड़ी जावेंगी :

धारा 35-ख : स्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का पंजीयन :

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 34 एवं 35 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती हेतु करदायी है, निर्धारित रीति एवं प्रारूप में आयुक्त से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा.

(2) प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अंतर्गत, कर दायित्व आने के पश्चात् ,30 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में आयुक्त के समक्ष पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा. आयुक्त, जो जांच उचित एवं आवश्यक समझते हैं, कराने के पश्चात्, आवेदन सही पाये जाने पर, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करेंगे.

(3) यदि कोई व्यक्ति कर दायित्व होते हुये भी, उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में, आयुक्त उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, एक सौ रुपये की शास्ति प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु आरोपित करेगा, जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.

(4) यदि कोई व्यक्ति पंजीयन हेतु कर दायी होते हुये अपने आवेदन में गलत जानकारी, इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति आरोपित करेगा, जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगी.

धारा 35-ग : स्रोत पर कटौती का दायित्व आने पर विवरणियां प्रस्तुत करना :

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 35-ख के अंदर पंजीयत है, ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्रारूप में, ऐसी कालावधि के लिये, ऐसी तारीख तक, जैसा कि निहित किया जाये, विवरणियां देगा.

(2) इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक विवरणी देय कर के पूर्ण राशि के भुगतान के प्रमाण में कोषालय के चालान के साथ प्रस्तुत की जायेगी. चालान के अभाव में विवरणी प्रस्तुत की हुई नहीं मानी जावेगी.

(3) यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता, तो आयुक्त, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये, शास्ति आरोपित करेगा, जो प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी.

(4) राज्य शासन ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जायेंगी, किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के व्यक्तियों को विवरणियां प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है.

9. प्रमुख अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा : **धारा 47 का संशोधन.**

"परन्तु कोई व्यापारी प्रकरण हस्तांतरण का आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसे आवेदन पर निर्णय के आधार लिपिबद्ध किए जायेंगे".

10. प्रमुख अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा : **धारा 61 का संशोधन.**

"परन्तु उपधारा (1) के अंतर्गत अपील में आदेश अपील प्रस्तुत करने के एक कैलेण्डर वर्ष के अंदर पारित किया जायेगा".

11. प्रमुख अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में वर्तमान परन्तुक के बाद निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा: **धारा 62 का संशोधन.**

"परन्तु यह भी कि इस उपधारा के अंतर्गत पुनरीक्षण आदेश आवेदन प्राप्ति के एक कैलेण्डर वर्ष के अंदर पारित किया जायेगा".

12. प्रमुख अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (1) में शब्द "भूल या लोप" के पूर्व शब्द "अभिलेख को देखने से स्पष्ट" जोड़ा जायेगा. **धारा 71 का संशोधन.**

13. प्रमुख अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2), खण्ड (ड) के उपखण्ड (आठ-क) के पश्चात् निम्नांकित उपखण्ड जोड़े जायेंगे : **धारा 80 का संशोधन.**

(आठ-ख) धारा 35-ख की उपधारा (1) में किस रीति एवं प्रारूप में पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा.

(आठ-ग) धारा 35-ग की उपधारा (1) में किस रीति, प्रारूप, दिनांक तथा किस अधिकारी के समक्ष विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी.

अनुसूची एक का संशोधन.

14. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची एक की प्रविष्टि 5 में :

(एक) कालम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के पूर्व "(1)" जोड़ा जायेगा :

(दो) कालम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नांकित प्रविष्टि जोड़ी जायेगी.

"(2) सावां, कोदों, कुटकी, ककन, बेझरी, रामधन, घटका, कोसरा, मोदिया, जिलों, कोदिया, साबी, भेंडी, राला, मजुरा, कोदरा, कोदरी एवं बाबदी".

अनुसूची दो का संशोधन.

15. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची दो में :

(1) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 16 एवं 41 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "15" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(2) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 31 में शब्दों "जैसे कि जेटमेट, गुडनाईट मैट इत्यादि" विलुप्त किया जायेगा.

(3) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 31 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "5" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(4) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक-33 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "20" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(5) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 37 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "15" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(6) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 45 विलुप्त की जायेगी.

(7) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 54 में शब्द "वी.सी.पी." के पश्चात् शब्द "वी.सी.डी." जोड़ा जायेगा.

(8) भाग 5 की प्रविष्टि क्रमांक 27 को विलुप्त किया जायेगा.

(9) भाग 5 की प्रविष्टि क्रमांक 54 में शब्द "भुने चने (पार्च्ड ग्राम)" के पश्चात् शब्द "भुने मटर (पार्च्ड पीज)" जोड़े जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4699/21-अ/प्रारुपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 16 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 16 of 2001)

THE CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001

An Act further to amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 16 of 2001)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 16 of 2001). **Short title.**

2. It extends to the whole of Chhattisgarh State. **Extent.**

3. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. **Commencement.**

4. In sub-section (g) of Section 2 of The Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), after the word "Sweet meats", the word "namkeen" shall be added. **Amendment of Section 2.**

5. In clause (c), (d) and (e) of Sub-section (5) of Section 5, for the word "one",the word "two" shall be substituted. **Amendment of Section 5.**

6. In Section 9-A of the Principal Act for the word "four", the word "five" shall be substitued. **Amendment of Section 9-A.**

7. In cluase (d) of Sub-section (5) of Section 27 after the word "judgement" the following words shall be inserted. **Amendment of Section 27.**

"based on reasonable grounds which shall be recorded"

8. After Section 35-A the following Sections shall be inserted: **Insertion of Section 35-B and 35-C.**

"Section 35-B : Registration of persons liable for tax deduction at source :

(i) Every person, liable for deduction of tax at source under Section 34 and 35, shall obtain a certificate of registration from the Commissioner in such manner and form as may be prescribed.

(ii) Every person required to obtain a certificate of registration under Sub-section (1), shall, within 30 days of his becoming liable to pay tax under this Act, apply for the certificate of registration to the Commissioner, in the prescribed from and that authority shall, after such inquiry as it considers necessary, within 30 days of the receipt of application, if the application is in order, grant certificate of registration.

(iii) Where a person liable for registration has failed to apply for such certificate, within the time specified in Sub-section (2), the Commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose penalty not exceeding one hundred rupees for each day of delay subject to a maximum of five thousand rupees.

(iv) Where a person liable for registration has given false information in any application submitted under this Section, the Commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty not exceeding five hundred rupees.

Section 35-C : Returns to be furnished by a person liable for tax deduction at source:

(1) Every person regisered under Section 35-B shall furnish a return in such form, in such manner, for such period, by such dates and to such authority as may be prescribed.

(2) Every such return shall be accompanied by a Treasury Challan in proof of payment of full amount of tax due according to the return. A return without such proof of payment shall not be deemed to have been duly filed.

(3) Where a person has without reasonable cause failed to file such a return within the prescribed time, the Commissioner may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty not exceeding one hundred rupees for each day of delay.

(4) The State Government may, subject to such conditions as may be specified. exempt any person or class of persons from furnishing returns."

Amendment of Section 47.

9. After Sub-section (1) of Section 47 of the Principal Act following proviso shall be inserted:

"Provided that on an application from any dealer for transferring his case, in decision on such application the grounds shall be recorded."

Amendment of Section 61.

10. After Sub-section (6) of Section 61 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted :

"Provided that the order in appeal under Sub-section (1) shall be passed within one calender year from the date of filing of the application for appeal."

Amendment of Section 62.

11. In Sub-section (1) of Section 62 of Principal Act after the present proviso following proviso shall be added :

"Provided further that the order under this Sub-section shall be passed within one calendar year from the date of filing of the application for revision."

Amendment of Section 71.

12. In Sub-section (1) of Section 71 of Principal Act after the word "error", words "apparent on the face of record or "shall be added.

Amendment of Section 80.

13. In clause (M) of Sub-section (2) of Section 80 of the Principal Act after sub-clause (VIII-a) the following sub-clauses shall be inserted :

(VIII-b) The manner and form in which certificate of registration shall be obtained under Sub-section (1) of Section 35-B.

(VIII-c) The manner and the authority to whom and the dates by which returns shall be furnished under Sub-section (1) of Section 35-C.

Amendment of Schedule-I

14. In entry 5 of Schedule-I of the Principal Act :

(i) Before the existing entry in column (2) "(i)" shall be added.

(ii) In column (2) after existing entry the following entry shall be added:

"(2) Sawan. Kodon, Kutki, Kakan, bejhari, Ramdhan, Ghataka, Kosra, Modia, Jilo, Kodia, Sabi, Bhendi, Rala, Majura, Kodra, Kodri and Babdi."

15. In schedule-II of the Principal Act : **Amendment of Schedule-II.**

(i) In entry 16 and 41 of part III in column 3 for number "12", "15" shall be substituted.

(ii) In entry 31 of part 3 word "such as Jet mat, Goodknight mat etc. "shall be omitted.

(iii) In entry 31 of part III in column 3 for number "12", "5" shall be substituted.

(iv) In entry 33 of part III in column 3 for number "12", "20" shall be substituted.

(v) In entry 37 of part III in column 3 for number "12", "15" shall be substituted.

(vi) Entry 45 of part III shall be omitted.

(vii) In entry 54 of part-III after word "V.C.P." words "V.C.D." shall be added.

(viii) In part V entry 27 shall be omitted.

(ix) In entry 54 of part-V after words "parched gram (Bhune chane)", words "parched peas (Bhune mutter)" shall be added.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192-ब] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2001—भाद्र 13, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4701/21-अ/प्रारूपण/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

(क्र. 17 सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 17 सन् 2001) है.

विस्तार.

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ.

3. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 4-क का संशोधन.

4. (i) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की धारा 4-क के शीर्षक में शब्द ''विनिर्माण में'' के पश्चात् शब्द ''अथवा संवेष्ठन सामग्री के रूप में'' जोड़ा जाएगा.

(ii) प्रमुख अधिनियम की धारा 4-क में शब्द ''दस'' को शब्द ''पचास'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(iii) प्रमुख अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) में शब्द ''विनिर्माण के लिए'' के पश्चात् शब्द ''अथवा संवेष्ठन सामग्री के रूप में'' जोड़ा जाएगा.

धारा 14 का संशोधन.

5. प्रमुख अधिनियम की धारा 14 में शब्द ''शास्ति'' को, जहां भी यह आता है, शब्द ''शास्ति या ब्याज'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा.

अनुसूची 1 का संशोधन.

6. अनुसूची एक में, प्रविष्टि क्रमांक 2 के कालम (2) को निम्न प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जायेगा :

''धान को छोड़कर सभी प्रकार के अनाज एवं दलहन''

अनुसूची 2 का संशोधन.

7. अनुसूची दो में

(i) प्रविष्टि क्रमांक 10 के कालम (3) में संख्या ''3'' की जगह ''10'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(ii) प्रविष्टि क्रमांक 56 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :

''57. धान 5''

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4701/21-अ/प्रारूपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 17 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 17 of 2001)

THE CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 17 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

Short title.
1. This Act may be called The Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Sansodhan) Act, 2001 (No. 17 of 2001).

Extent.
2. It extends to the whole of Chhattisgarh State.

Commencement.
3. It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4-A.
4. (i) In heading of Section 4-A of The Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act), after the words "other goods" the words "and on packing materials" shall be added.

(ii) In Section 4-A of the Principal Act for the word "ten" the word "fifty" shall be substituted.

(iii) In Sub-section (1) of Section 4-A of the Principal Act after the words "other goods" the words" or as packing materials" shall be added.

Amendment of Section 14.
5. In Section 14 of the Principal Act for the word "penalty" wherever it occurs, the words "penalty or interest" shall be substituted.

Amendment of Schedule I.
6. In schedule I of the Principal Act, in entry number 2 in column (2) for the present entry, following entry shall be substituted :

"All kind of cereals and pulses excluding paddy."

Amendment of Schedule II.
7. (i) In entry 10 of schedule II of the Principal Act in column (3) for the number "3", the number "10" shall be substituted.

(ii) In Schedule II of the Principal Act after entry number 56 following entry shall be added:

"57. Paddy 5"

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192-स] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2001—भाद्र 13, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4702/21-अ/प्रारूपण/2001.—छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 18 सन् 2001) छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 18 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2001

छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम (क्र. 18 सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 18 सन् 2001)है.

प्रारंभ. 2. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

विस्तार. 3. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

4. इस अधिनियम के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), निम्न धाराओं में वर्णित संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

धारा 3 का संशोधन. 5. प्रमुख अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में शब्द अंक एवं "अनुक्रमांक 2" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुक्रमांक 2 से 9 तक" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

धारा 17 का संशोधन. 6. प्रमुख अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

"(3) कोई अपील, स्वीकृत कर भुगतान के बिना, स्वीकार नहीं की जायेगी. तत्पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी, शेष कर या शास्ति की वसूली को, अपील के निराकरण तक स्थगित कर सकेगा."

धारा 18 का संशोधन. 7. प्रमुख अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में

(1) "स्व-प्रेरणा से" शब्द के बाद निम्न शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे :

या व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा निहित प्रारूप में आवेदन, आदेश दिनांक के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किये जाने पर.

(2) वर्तमान में प्रवृत्त परंतुक के स्थान पर निम्न परन्तुकों को प्रतिस्थापित किया जाये :

परन्तु आयुक्त, वृत्ति कर, इस उपधारा के अधीन निगरानी आदेश पारित नहीं करेगा, यदि उस कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध धारा 17 में वर्णित प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है या अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्त नहीं हुई है.

परन्तु यह भी कि आयुक्त, वृत्ति कर द्वारा, इस उपधारा के अधीन निगरानी आदेश संबंधित विवादित आदेश पारित होने के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा.

8. प्रमुख अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्न धारा अंत:स्थापित की जायेगी :

धारा 18-ए का अंत:स्थापन.

"धारा 18-ए लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि का सुधार

(1) आयुक्त, वृत्ति कर द्वारा,

(एक) स्व-प्रेरणा से, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, अथवा

(दो) व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, ऐसे आदेश में लिपिकीय त्रुटि अथवा गणना की त्रुटि, को परिशोधित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा.

परन्तु आयुक्त, वृत्ति कर, व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस आदेश की जिसका परिशोधन किया जाना है, तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर नहीं किया गया है :

परन्तु यह भी कि आयुक्त, वृत्ति कर द्वारा, कोई भी ऐसा परिशोधन यदि उसके कारण कर में वृद्धि हो जाती है, या वापसी की रकम कम हो जाती है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयुक्त, वृत्ति कर ने एतदर्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया हो.

(2) जहां किसी आदेश के परिशोधन के लिए किसी व्यक्ति, अथवा नियोक्ता द्वारा किये गये किसी आवेदन पर ऐसा आदेश उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर परिशोधित नहीं किया जाता है वहां आवेदक उक्त आदेश को अपने आवेदन के अनुसार परिशोधित कराने का हकदार होगा और तद्नुसार आयुक्त, वृत्ति कर उस आदेश को परिशोधित करेगा और जहां आयुक्त, वृत्ति कर द्वारा स्वत: शुरू की गई कार्यवाही में कोई आदेश उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर पारित नहीं किया जाता वहां ऐसी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी.

परन्तु इनमें कोई बात, आयुक्त, वृत्ति कर को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी.

(3) उपधारा (1) एवं (2) के उपबंध, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में किसी भूल के परिशोधन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे आयुक्त, वृत्ति कर द्वारा भूल के परिशोधन में लागू होते हैं.

(4) यदि ऐसे किसी भूल सुधार आदेश के कारण कर की रकम कम हो जाए तो आयुक्त, वृत्ति कर ऐसे व्यक्ति अथवा नियोक्ता को देय कोई भी रकम निर्धारित रीति से वापस करेगा.

(5) यदि ऐसे किसी भूल सुधार आदेश के फलस्वरूप कर की रकम में वृद्धि हो जाय या वापस की जाने वाली रकम में कमी हो जाय तो आयुक्त, वृत्ति कर ऐसे व्यक्ति अथवा नियोक्ता द्वारा देय रकम को धारा 15 में उप-बंधित रीति से वसूल कर सकेगा."

9. धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा :

धारा 28 का संशोधन.

(ज-1) धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत निगरानी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के प्रारूप एवं समयावधि के संबंध में.

अनुसूची का संशोधन. 10. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची में

(1) प्रविष्टि क्रमांक (1) एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नप्रविष्टि क्रमांक एवं प्रविष्टियां संस्थापित की जायेगी :

(1) नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी

(1) रुपये 1,00,000 से अधिक नहीं	निरंक
(2) रुपये 1,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 1,50,000 से अधिक नहीं	2,100/- (रुपये 175 प्रति माह)
(3) रुपये 1,50,000 से अधिक किन्तु रुपये 2,50,000 से अधिक नहीं	2,400/- (रुपये 200 प्रति माह)
(4) रुपये 2,50,000 से अधिक	2,500/- (रुपये 208 प्रति माह)

स्पष्टीकरण :—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है, वहां उस कालावधि के लिए कर के भुगतान करने का दायित्व अनुपाततः कम कर दिया जायेगा.

(2) प्रविष्टि क्रमांक 7 एवं तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न प्रविष्टि क्रमांक एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी :

7 छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन करदायी व्यवसायी जिनका वार्षिक सकल विक्रय :

(i)	रुपये 5,00,000 से कम है	निरंक
(ii)	रुपये 5,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 10,00,000 से कम है.	1200
(iii)	रुपये 10,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 25,00,000 से कम है.	2000
(iv)	रुपये 25,00,000 से अधिक किन्तु रुपये 50,00,000 से कम.	2250
(v)	रुपये 50,00,000 से अधिक	2500

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4702/21-अ/प्रारुपण/2001—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 18 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 18 of 2001)

THE CHHATTISGARH VRITTI KAR (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001

An Act further to amend Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 18 of 2001)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Vritti Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 2001 (No. 18 of 2001). **Short title.**

2. It extends to the whole of Chhattisgarh State. **Extent.**

3. It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. **Commencement.**

4. In Sub-section (3) of Section 3 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinaf referred to as the Principal Act), for the word and figure "number 2" the word and figure "number 2 to 9" shall be substituted. **Amendment of Section 3.**

5. For Sub-section (3) of Section 17 of the Principal Act the following Sub-section shall be substitued. **Amendment of Section 17.**

"(3) No appeal shall be entertained unless the admitted amount of tax is paid and there upon the appellate authority may stay the recovery of the balance of tax or penalty till the disposal of the appeal."

6. In Sub-section (1) of Section 18 of Principal Act **Amendment of Section 18.**

(1) After the words "own motion" the following words shall be inserted :

"or on an application in the prescribed form by a person or employer made within the prescribed period from the date of order."

(2) The existing proviso shall be replaced by following provisos :

"Provided that the Commissioner, Professional Tax shall not revise any order under this Sub-section where an appeal against the order is pending before any authority specified in Section 17 or where, if such appeal lies, the time within which it may be filed has not expired.

Provided further, that no order shall be revised by the Commissioner, Professional Tax under this Sub-section after expiry of three years from the date of passing of the impugned order."

7. After Section 18 of the Principal Act the following Section shall be inserted : **Insertion of Section 35-B and 18-A**

"Section 18-A : Correction of clerical or arithmetical error.

(1) The Commissioner, Professional Tax may :

(i) on his own motion at any time within one calendar year from the date of any order passed by him or

(ii) on an application made by a person or employer within one calendar year from the date of receipt of such application.

rectify such order for correcting any clerical or arthimetical error.

Provided that the Commissioner, Professional Tax shall not entertain any application by a person or employer unless it is made within one calendar year from the date of order sought to be rectified;

Provided further that no such rectification shall be made if it has the effect of enhancing the tax or reducing the amount of refund unless the Commissioner, Professional Tax has given notice in writing to the person or employer of his intention so to do and has allowed the person or employer a reasonable opportunity of being heard.

(2) Where on an application made by a person or employer for rectification of any order, the order is not rectified within the period specified in Sub-section (1), the applicant shall be entitled to have the order rectified in accordance with his application and accordingly the Commissioner, Professional Tax shall rectify the order, and where in proceedings initiated suo-motu the order is not passed within the time specified in Sub-section (1), the proceedings shall stand abated :

Provided that nothing herein shall preclude the Cimmissioner, Professional Tax, from exercising powers under any other provisions of this Act.

(3) The Provision of Sub-section (1) & (2) shall apply to the rectification of mistake in any order passed by the assesing authority or appellate authority as they apply to the rectification of mistake by the Commissioner, Professional Tax.

(4) Where any such rectification has the effect of reducing the amount of tax, the Commissioner, Professional Tax shall in the prescribed manner refund any amount due to the person or employer.

(5) Where any such rectification has the effect of enhancing the amount of tax or reducing the amount of refund, the Commissioner Professional Tax shall recover the amount due from the peson or employer in the manner prescribed in Section 15."

Amendment of Section 28.

8. In Sub-section (2) of Section 28, after clause (h) the following clause shall be inserted :

"(h-1) the period and the form in which application for revision shall be presented in Sub-section (1) of Section 18."

Amendment of Schedule.

9. In the Schedule to the Principal Act

(1) For serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely :

"(1) Persons in employment whose annual salary or wage

(i)	Does not exceed Rs. 1,00,000	Nil
(ii)	Exceeds Rs, 1,00,000 but does not exceed Rs. 1,50,000.	Rs. 2,100 (Rs. 175 per month)
(iii)	Exceeds Rs. 1,50,000 but does not exceed Rs. 2,50,000.	Rs. 2,400 (Rs. 200 per month)

(iv)	Exceed Rs. 2,50,000	Rs. 2,500 (Rs. 208 per month)

Explanation :—For the purpose of this entry where a person ceases to be in employment before the end of any year, the liability to pay the tax for that period shall be proportiontely reduced.

(2) For serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :

7 Dealers liable to pay tax under Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (5 of 1995) whose annual gross turnover is :

(i)	Less than Rs. 5,00,000	Nil
(ii)	Rs. 5,00,000 or more but less than Rs. 10,00,000.	Rs. 1200
(iii)	Rs. 10,00,000 or more but less than Rs. 25,00,000.	Rs. 2000
(iv)	Rs. 25,00,000 or more but less than Rs. 50,00,000.	Rs. 2250
(v)	Rs. 50,00,000 or more	Rs. 2500"

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192-द] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर 2001—भाद्र 13, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4700/21-अ/प्रारुपण/2001.—छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 19 सन् 2001) छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-8-2001 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 19 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम (क्र. 19 सन् 2001)

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्र. 19 सन् 2001) है.

विस्तार. 2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ. 3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

प्रस्तावना में संशोधन. 4. छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की प्रस्तावना में शब्द "मध्यप्रदेश राज्य में" को विलोपित किया जायेगा तथा "तथा वास गृहों" के पश्चात् "छत्तीसगढ़ राज्य में हॉल, लॉन तथा गार्डन" शब्दों को जोड़ा जायेगा.

धारा-2 में संशोधन. 5. धारा-2 में

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा :

(क) व्यापार के अंतर्गत है, किसी होटल मालिक द्वारा धन संबंधित प्रतिफल के लिये वास सुविधा, जगह या अनुषांगिक या सहायक कोई अन्य सेवा, उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप परन्तु इसमें किसी धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शैक्षणिक संस्था द्वारा उनके घोषित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध कराये गये, क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं होंगे.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के शब्दों "किसी होटल" के पश्चात् शब्द "और हॉल, लॉन या गार्डन" जोड़े जायेंगे.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये :

"(ग) होटल के अंतर्गत है, कोई वास स्थान या जगह, वास गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग, हॉल, लॉन या गार्डन जहां कारोबार के अनुक्रम में वास सुविधा अथवा जगह अथवा अन्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है."

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा:

"(ङ) होटल में उपलब्ध करायी जाने वाली विलास वस्तु से अभिप्राय, वहां उपलब्ध कराई जाने वाली वास

सुविधा या जगह और अन्य सेवायें, जैसी स्थिति हो, जिनके लिये प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, सभी प्रकार के संगीत यंत्र, जिसे जो भी नाम से जाना जाता हो, मनोरंजन, प्रकाश, अतिरिक्त विस्तार और उसी प्रकार के वस्तुओं के लिये प्रभारों को सम्मिलित करते हुये, होटल के मामले में प्रतिदिन एक सौ पचास रुपये या उससे अधिक है और हॉल,लॉन या गार्डन के मामले में प्रतिदिन तीन हजार रुपये या उससे अधिक है, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिये, पृथक से प्रभार लिया जाता है."

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा :

(ञ) "वाणिज्यिक कर अधिनियम" से आशय "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" है.

(6) उपधारा (2) में शब्द "विक्रयकर अधिनियम" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

6. धारा-4 में

धारा-4 में अंत:स्थापन.

(1) उपधारा (1) को, उपधारा (1) का खण्ड (एक) पुन: संख्यांक किया जायेगा.

(2) उपधारा (1) का खण्ड (क) विलोपित किया जाएगा.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किये जाएंगे :

(क)	एक सौ पचास रुपये या अधिक किन्तु रुपये तीन सौ रुपये से अधिक नहीं है.	टर्न ओवर का 5 प्रतिशत
(ख)	रुपये तीन सौ अधिक है	टर्न ओवर का 10 प्रतिशत

(4) उसके पश्चात् निम्नानुसार खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा :

(दो) जहां किसी हॉल, लॉन या गार्डन में उपलब्ध कराई गई जगह या अन्य सेवा के लिये प्रतिदिन प्रभार:

(क)	तीन हजार रुपये से कम है	कुछ नहीं
(ख)	तीन हजार रुपये या उससे अधिक किन्तु दस हजार रुपये से अधिक नहीं है.	कुल राशि का पांच प्रतिशत.
(ग)	दस हजार रुपये से अधिक है	कुल राशि का दस प्रतिशत

(5) उपधारा (4) में शब्द "मध्यप्रदेश सामान्य विक्रयकर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959)" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

6. धारा-6 में — धारा-6 में संशोधन.

(एक) शब्द "विक्रयकर अधिनियम" के स्थान पर "वाणिज्यिक कर अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(दो) शब्द "धारा-3............51" के स्थान पर शब्द

"धारा-3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 एवं 80" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

8. धारा-7 में शब्द "विक्रयकर अधिनियम" के स्थान पर "वाणिज्यिक कर अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जायेगा. — धारा-7 में संशोधन.

9. धारा-8 में : — धारा-8 में संशोधन.

(1) धारा-8 की उपधारा (1) में शब्द "विक्रयकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(2) धारा-8 की उपधारा (3) में शब्द "विक्रयकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(3) धारा-8 की उपधारा (5) में शब्द "विक्रयकर अधिनियम की धारा-15" के स्थान पर शब्द "वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा-22" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 4700/21-अ/प्रारुपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 19 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 19 of 2001)

THE CHHATTISGARH HOTAL TATHA VAS GRIHON ME VILAS VASTUON PAR KAR (SANSODHAN) ADHINIYAM, 2001 (No. 19 OF 2001)

An Act further to amend the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 19 of 2001).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar (Sansodhan) Adhiniyam, 200 (No. 19 of 2001). — Short title.

Extent. 2. It extends to the whole of Chhattisgarh.

Commencement. 3. It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Amendment of Preamble. 4. In preamble of the Chhattisgarh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 31 of 1988) (hereinafter referred to as the Principal Act), the words "in the State of Madhya Pradesh" shall be deleted and after the words "and lodging houses" the words "hall, lawn and garden in the State of Chhattisgarh" shall be added.

Amendment of Section-2. 5. In section 2

(1) For clause (a) of Sub-section (i) the following clause shall be substituted :

(a) Business includes the activity of providing residencial accommodation, space and any other service in connection with or incidental or ancillary to such activity of providing residential accommodation, space and any other service by a hotelier for monetary consideration but shall not include such activity, provided by any charita ble, religious
or educational institution for achieving its avowed objects.

(2) In cluase (b) of Sub-section (1) after the words "luxury provided in hotel" the words "and hall, lawn or garden" shall be added.

(3) For clause (c) of Sub-section (1) the following clause shall be substituted :

(c) Hotel shall include residential accommodation or space, a loading house, an in, a public house or a building or part thereof, hall, lawn or garden where residential accommodation or space or other service is provided in the course of business."

(4) For clause (e) of Sub-section (1), the following clause shall be inserte :

"(c) Luxury provided in a hotel means an accommodation or space and other services, as the case may be, provided there in the rate of charges for which shall include the charges for air-conditioning, telephone, television, radio, all music system by whatsoever name called, entertainment, lighting, extra beds and the like in case of hotel sixty rupees per day or more and in case of hall, lawn or garden three thousand rupees per day or more, but does not include the supply of food and drinks where such supply is separately charged for."

(5) Clause (J) of Sub-section (1) shall be substituted as follows :

(J) Commercial Tax Act means the Chhattisgarh Commerical Tax Act. 1994 (No. 5 of 1995).

(6) In Sub-section (2) in place of the words "Sales Tax Act" the words "Commerical Tax Act" shall be substituted.

Insertion in Section-4. 6. In section 4

(1) Sub-section (1) be renumbered as clause (i) of Sub-section (1)

(2) After that the following clause shall be inserted :

(i) Where charges for space or other service provided in a hall, lawn or garden per day :—

(a) is less than three thousand rupees Nil

(b)	is three thousand rupees or more but does not exceed ten thousnad rupees.	5% of the turnover
(c)	is more than ten thousand rupees	10% of the turnover.

(3) In Sub-section (4) in place of the words "Madhya Pradesh General Sales Tax Act, 1958 (No. 2 of 1959," the words "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995)" shall be substituted.

Amendment of Schedule 6.

7. In section 6

(i) For the words "Sales Tax Act" the words "Commercial Tax Act" shall be substituted.

(ii) For words "Section 3.........51" words "Section 3, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52,53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 74, 75, 76, 77 & 80" shall be substituted.

Amendment of Section 7.

8. In section 7, for the words "Sales Tax Act" the words "Chhattisgarh Commercial Tax Act" shall be substituted.

Amendment of Schedule 8.

9. In section 8

(i) In Sub-section (1) in place of the words "Sales Tax Officer" the words "Commerical Tax Officer" shall be substituted.

(ii) In Sub section (3) in place of the words "Sales Tax Officer" the wrods "Commercial Tax Officer" shall be substituted.

(iii) In Sub-section (5) for the words "Section 15 of the Sales Tax Act" the words "Section 22 of Commercial Tax Act" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.